



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2529]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 20, 2010/अग्रहायण 29, 1932

No. 2529]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 20, 2010/AGRAHAYANA 29, 1932

वित्त मंत्रालय

MINISTRY OF FINANCE

(आर्थिक कार्य विभाग)

(Department of Economic Affairs)

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2010

New Delhi, the 20th December, 2010

का.आ. 2978(अ).—केन्द्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 (1906 का 3) की धारा 15क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 30 जून, 2011 को, समय-समय पर जारी 25 पैसे और उससे कम मूल्य के सिक्कों को परिचालन से वापस लेने हेतु अवधारित करती है और इस तारीख से ये सिक्के लेखा के साथ-साथ संदाय के लिए विधिक मुद्रा नहीं रहेंगे। वापस लेने की प्रक्रिया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पृथक रूप से अधिसूचित की जाएगी।

S.O. 2978(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section 15A of the Coinage Act, 1906 (3 of 1906), the Central Government hereby determines to call in from circulation the coins of the denomination of 25 paise and below, issued from time to time, with effect from June 30, 2011, and from this date, these coins shall cease to be a legal tender for payment as well as on account. The procedure for call in shall be notified separately by the Reserve Bank of India.

[फा. सं. 11/19/2009-सिक्का]

[F. No. 11/19/2009-Coin]

अरुण सोबती, अवर सचिव (करेंसी और सिक्का निर्माण)

ARUN SOBTI, Under Secy. (Currency & Coinage)